

प. सं. 160/2011 अनवत: रूपी | नन्द राम

58  
25

~~पत्रावली का इत वकील वादी। वादी  
उपरिष्ठत नहीं पुनः वकील वादी/वादी  
का बार बार आवेज करावई गई  
बिना वादी या वादी का एग्रीडर  
उपरिष्ठत नहीं वाद वादी अदम्य सूची  
अदम्य हाजरी में श्वारिख किया  
छाता है पत्रावली दाखल पफतर डी~~

Zahur,

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

